Does he have the premission of the House for remaining absent from the sittings of the House from 8th to 22nd December, 2003?

(No. Hon. Member dissented)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Industrial Development Bank (Transfer of Undertaking and Repeal) Bill, 2003

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Industrial Development Bank (Transfer of Undertaking arid Repeal) Bill, 2003, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th December, 2003." Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

(The Deputy Chairman in the Chair)

SPECIAL MENTIONS

Attack on the autonomy of the women study centres

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिए महिला अध्ययन केन्द्रो पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, उसकी ओर आपका तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

उपसभापति महोदया, सारी दुनिया के अनुभवों के आधार पर महिलाओं के समग्र विकास के लिए भारत में जिन महिला अध्ययन केन्द्रों का निर्माण किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उन केन्द्रों के नाम से लेकर उनके समूचे चरित्र को बदल देने की नीति पर चल रहा है । हमारे देश में करीबन 20 ऐसे अध्ययन केन्द्र हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने इनका नाम बदल कर महिला तथा परिवार अध्ययन केन्द्र कर दिया है। इन अध्ययन केन्द्रों के जरिए राजनीति-शस्त्र, अर्थ नीति, कृषि, उद्योग आदि की तरह के तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को अध्ययन तथा उसे प्रोत्साहित करने की जो मूल अवधारणा काम कर रही थी अब उसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि महिला संबंधी अध्ययन में परिवार का अध्ययन भी एक

महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सिर्फ परिवार के साथ ही महिलाओं को जोड़ कर देखा जाए । ऐसे केन्द्रों के मूल चरित्र पर हमलों के साथ ही इस सरकार ने इनकी स्वायत्ता को भी अपना निशाना बनाया है । इन केन्द्रों के बारे में यूजीसी के प्रस्ताव के अनुसार इनका संचालन एक ऐसी सलाहकार समिति केरगी जिसमें महिला और बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल होगे । इस प्रकार के प्रस्ताव के जरिए इन केन्द्रों पर मानव संसाधन मंत्रालय के शिंकजे को कसने की योजना बनाई गई है।

इन सदन में मेरी अपील है कि इसके पहले कि यह सरकार महिला अध्ययन केन्द्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दें, मानव संसाधन मंत्रालय के इस कदम कर तीव्र प्रतिवाद किया जाए। धन्यवाद ।

डा. कुमकुम राय (बिहार) : उपसभापति जी, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूं । यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । सरकार को अपनी महिला विरोधी नीति छोड़नी चाहिए। महिला आरक्षण बिल तो यह सरकार पास करेगी नहीं, कम से कम अध्ययन केन्द्र तो रहने दिए जाएं ।

उपसभापति : ठीक है।

SHRI M.R ABDUSSAMAD SAMADANI (KERALA): Sir, I associate myself with the special mention made by Shrimati Sarla Maheshwari.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : हम हार मानने वाली नहीं है।

उपसभापति : आप हार कैसें मानेंगी, आप तो सब जीत रही हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, आप आसन पर बैठी हुई हैं, यह कैसे हो सकता है, महिला आरक्षण विधेयक को तो पास होना ही है और हमारे नेता जी चुपचाप बैठे हुए हैं। पता नहीं, यह सत्र भी चला जाएगा। एक के बाद एक सत्र आ रहे हैं। अभी-अभी चुनावों ने दिखाया कि जनता महिलाओं पर विश्वास कर रही है, लेकिन हमारी सरकार यकीन नहीं करती । आप कुछ तो बोल दीजिए, अभी इस सत्र में ला रहे हैं या नहीं ?

उपसभापति : क्य चीज ला रहे हैं, बिल ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : हां, कम से कम इसे राज्य सभा में ले आइए। उपसभापति महोदया, कम से कम आप तो यह बोल दीजिए कि लोक सभा में लाने में परेशानी है तो कम से कम राज्य सभा में ही उसको ले आएं ।

डा. कुमकुम राय : महोदया, आप बिल पर चर्चा तो करवाइये, पास हो या न हो, वह तो बाद की बात है । आप चर्चा तो करवाइयें ताकि सब की असलियत सामने आए ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सदन के नेता तो सुन ही नहीं रहे हैं। उपसभापति महोदया, आप कम से कम सदन के नेता को कहिए तो सही कि महिलाओं की आवाज सुनें। वह किसी दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं व्यस्त हैं।

उपसभापति : महिला की आवाज सुन रहे हैं। उनकी स्टेट में तो महिल चीफ मिनिस्टर है। अब वह कैसे नहीं सुनेंगे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : इसलिए तो कम से कम सुने ...(**व्यवधान**)... स्टेट में सुन रहे हैं तो वह तो महिलाओं ने वहां पर मजबूर कर दिया, लेकिन यहां पर नहीं सुन रहे हैं।

उपसभापति : अभी मैं एक महिला को बोलने की इजाजत देना चाहती हूं। उसकी आवाज भी सुनिए। श्रीमती प्रेमा करियप्पा।

Demand for special grants to Karnataka to Set up Testing Laboratories for Contamination in Water

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (KARNATAKA): Madam, safe drinking water is essential for the survival of life on this earth. In major parts of our country, more so in rural parts, groundwater is used for drinking and other purposes. So is the case in my home State Karnataka. However, unfortunately, in many parts of the State, groundwater has been found contaminated with salinity, fluoride and heavy metals. As per information, as many as 5838 habitations in 27 districts of the State have flouride contamination. The worst affected districts are Tumkur, Kolar, Bangalore, Gulbarga, Bellary and Raichur. Fluoride contamination is affecting the bones of the people who have no option but to drink the contaminated water. Similarly, the groundwater of Bijapur, Belgaum, Raichur, Bellary and Dharwar is having salinity problem, whereas water of Bhadrawati district is having heavy metals in it. The contaminated water is resulting in various diseases, including fatal ones, and in many cases causing disability to the poor villagers. The State Government of Karnataka is doing its best to provide safe drinking water to the people, but due to resource constraints, it alone cannot solve the problem. I, therefore, earnestly request the Union Government to give Special Grants to Karnataka so as to enable the State to set up testing laboratories and water treatment plants, such as defluoridation plants, at conspicuous places in the State to provide safe drinking water to the people of Karnataka, particularly to those living in the